पत्रांक : 532 /आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनु0 / 2016–2017 / दे0दून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 03 मई–2016

::विज्ञप्ति::

(उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 11 के उपनियम (12) सपठित नियम 55 के अन्तर्गत)

(सावधिक विवरणी दाखिल किये जाने की नयी प्रक्रिया)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 11 के उपनियम (1) में प्राविधानित तालिका में विनिर्दिष्ट ब्यौहारी अथवा व्यक्तियों की श्रेणी द्वारा सावधिक विवरणी उपाबन्धों सहित (Periodical Return with Annexures) की प्रस्तुति वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही से वैबसाईट पर ऑनलाईन दाखिल करना अनिवार्य है। इस प्रकार ऑनलाईन उपाबन्धों (online annexures) सहित प्रस्तुत की जा रही सावधिक विवरणी को दाखिल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत ब्यौहारियों को Annexure 1(A), 1(B), 1(C) तथा 2 को ऑनलाईन दाखिल की जा रही सावधिक विवरणी के अनुलग्नकों के रूप में फीड नहीं किया जाएगा वरन् ब्यौहारियों को उक्त उपाबन्धों में से उपाबन्ध–2 (Annexure 2) को Bulk data अथवा प्रत्येक संव्यवहार के रूप में कभी भी अपनी सुविधा अनुसार पृथक से ऑनलाईन भरने की सुविधा दी गई है। Annexure 1(A), 1(B), 1(C), विक्रेता व्यापारी द्वारा अपलोड किये गये Annexure 2 के आधार पर, स्वतः ही क्रेता व्यापारी के Log-in Account में प्रदर्शित हो जायेंगे। ऑनलाईन दाखिल उपाबन्धों में प्रदर्शित संव्यवहारों को क्रेता तथा विक्रेता ब्यौहारियों द्वारा परस्पर accept करने पर क्रेता ब्यौहारियों को प्रश्नगत आई0टी0सी0 अनुमन्य होगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सावधिक विवरणी के उपाबन्ध 1(क), 1(ख), 1(ग) तथा 2 (Annexure 1(A), 1(B), 1(C) तथा Annexure-2) को ऑनलाईन दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु स्पष्ट किए जा रहे हैं :–

1. किसी अवधि हेतु विक्रेता ब्यौहारी द्वारा उपाबन्ध 2(Annexure 2) (विक्रय सूची) ऑनलाईन दाखिल किए जाने पर, सम्बन्धित क्रेता ब्यौहारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 से सम्बन्धित उपाबन्ध 1(क), 1(ख) एवं 1(ग) [Annexure 1(A), 1(B), 1(C)] (जैसी भी स्थिति हो) क्रेता ब्यौहारियों के login account में स्वतः प्रदर्शित होने लगेंगे, जिसके सम्बन्ध में क्रेता ब्यौहारी के पास संदर्भित संव्यवहारों के सम्बन्ध में उपलब्ध विकल्पों के आधार पर Accept, Accept (without ITC), Hold अथवा Decline करने का विकल्प उपलब्ध होगा। क्रेता ब्यौहारी द्वारा किसी संव्यवहार को Accept करने की दशा में ही उक्त संव्यवहार के सम्बन्ध में आई0टी0सी0 का लाभ क्रेता को अनुमन्य होगा तथा Decline करने की दशा में ऐसे संव्यवहार से सम्बन्धित आई0टी0सी0 का लाभ क्रेता ब्यौहारी को देय नहीं होगा।
2. विक्रेता ब्यौहारी द्वारा प्रान्त में पंजीकृत व्यापारी को प्रत्येक माह में विक्रय किये गये माल से सम्बन्धित Annexure 2 को अगले माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में अपने login account से अपलोड किया जायेगा।
3. यदि विक्रेता ब्यौहारी द्वारा उपाबन्ध 2 (Annexure 2) (विक्रय सूची) में रूप से प्रविष्ट किए गए सम्व्यवहारों के अवलोकन पर क्रेता ब्यौहारी द्वारा यह पाया जाता है कि विक्रेता ब्यौहारी द्वारा कोई संव्यवहार प्रविष्ट नहीं किया गया है तो क्रेता ब्यौहारी ऐसे संव्यवहार को सम्बन्धित अनुलग्नक में

ऑनलाईन फीड कर सकता है जिसे विक्रेता ब्यौहारी द्वारा accept किए जाने की दशा में ही क्रेता ब्यौहारी को उक्त संव्यवहार से सम्बन्धित आई0टी0सी0 अनुमन्य होगा।

4. बिन्दु संख्या 3 के मामले में यदि विक्रेता ब्यौहारी द्वारा रिटर्न दाखिल कर दिया गया है जिसके कारण वह क्रेता ब्यौहारी द्वारा सम्बन्धित अनुलग्नक में ऑनलाईन फीड किए गए संव्यवहार को accept या decline नहीं कर सकता है तो विक्रेता ब्यौहारी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह उक्त संव्यवहार को बाद की किसी अवधि में accept या decline कर सके, जिसके आधार पर क्रेता ब्यौहारी को आई0टी0सी0 का लाभ देय होगा एवं तदनुसार विक्रेता ब्यौहारी पर करदेयता बनेगी जिसे दोनों ब्यौहारियों द्वारा ऐसी अवधि जिसमें उक्त संव्यवहार को accept किया गया है, से सम्बन्धित सावधिक विवरणी में समायोजित किया जा सकेगा।
5. यदि किसी विक्रेता ब्यौहारी के द्वारा कोई त्रुटिपूर्ण संव्यवहार upload कर दिया जाता है तो ऐसे विक्रेता ब्यौहारी के पास उस संव्यवहार विशेष को, संबंधित क्रेता ब्यौहारी द्वारा accept करने से पूर्व delete करने का विकल्प होगा, परन्तु यदि किसी क्रेता ब्यौहारी के द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार accept कर लिया जाता है तो उस दशा में ऐसे संव्यवहार को upload करने वाले ब्यौहारी के पास उक्त संव्यवहार को delete करने का विकल्प प्राप्त नहीं होगा।
6. यदि किसी ब्यौहारी द्वारा अपना देय कर नियमानुसार जमा नहीं करवाया गया है तो ऐसी दशा में ऐसे ब्यौहारी द्वारा दाखिल ऑनलाईन विवरणी के सम्बन्ध में return in process संदेश flash होगा एवं ऐसा ब्यौहारी automatically समस्त ऑनलाईन सुविधाओं जैसे ई–फार्म 16, ई–फार्म सी, ई–फार्म XI जनरेशन, ई–पेमेंट आदि से वंचित हो जाएगा। समस्त देय कर नियमानुसार जमा किए जाने के उपरान्त ब्यौहारी की रिटर्न के सम्बन्ध में finally submit संदेश flash होगा एवं तदोपरान्त उसे प्रदत्त समस्त ऑनलाईन सुविधाएं पुनः restore हो सकेगी।
7. Annexure 1(A), 1(B), 1(C) तथा Annexure 2 के अतिरिक्त शेष सावधिक विवरणी विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध Offline Return Version 2.0 में दाखिल की जाएगी।
8. नई सावधिक विवरणी **चतुर्थ त्रैमास 2015–16** से अनिवार्य रूप से दाखिल की जाएगी, जिसके भरे जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में User Manual विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव वित्त/आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 : /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर ज़ोन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव वित्त/आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।